

## कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक (राजस्थान)

क्रमांक :- 585

दिनांक :- 02/09/23

### ॥ कार्यालय आदेश ॥

माह सितम्बर-2023 में अग्रलिखित राजकीय अवकाशों के लिए निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई दिनांक को टोंक न्यायक्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) व अन्य आवश्यक प्रकृति के समस्त न्यायिक कार्य एवं प्रोटोकॉल आदि से सम्बन्धित कार्य सम्पादित किए जाने के लिए अधिकृत किया जाता है :-

#### रिमाण्ड इयूटी :-

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	मोबाईल नम्बर	दिनांक
1.	रेशमा जानवानी, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा	9829133395	03.09.2023
2.	राजीव चौधरी, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह	9610448989	07.09.2023
3.	डॉ. सुरभि सिंह, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा	9414782822	09.09.2023 10.09.2023
4.	निधि शर्मा, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	9461322165	17.09.2023 19.09.2023
5.	लोकेश कुमार मीना, अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली	9887783170	23.09.2023 24.09.2023
6.	डॉ. अंजुम खान, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	9413211224	25.09.2023
7.	संयोगिता गहलोत, न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली	9636810008	28.09.2023


#### प्रोटोकॉल इयूटी :-

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	मोबाईल नम्बर	दिनांक
1.	स्वाति भगवती, न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूनी	8560001515	03.09.2023
2.	शांतनु खंगारोत, अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	9429126623	07.09.2023
3.	प्रशांत पूनियां, न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा	9829175166	09.09.2023
4.	लोकेश कुमार मीना, अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली	9887783170	10.09.2023
5.	डॉ. अंजुम खान, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	9413211224	17.09.2023
6.	फैसल खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	7822911111	19.09.2023
7.	अल्का मीना, अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	7414018889	23.09.2023 24.09.2023
8.	संयोगिता गहलोत, न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली	9636810008	25.09.2023
9.	रेशमा जानवानी, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा	9829133395	28.09.2023

उक्त इयूटी चार्ट में अंकित न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह रिमाण्ड इयूटी में कार्यालय समय पर अपने न्यायालय/कार्यालय में उपस्थित रहे। साथ ही अपने कार्यालय के एक लिपिक व च.श्रे.क. को भी रिमाण्ड इयूटी के दिन कार्यालय में उपस्थित रखे।

नोट :- उक्त राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त अन्य दिवस् को आकस्मिक अवकाश घोषित होने की स्थिति में अवकाश घोषित दिवस् से पूर्व दिवस् को राजपत्रित अवकाश हेतु न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड), अन्य आवश्यक कार्य एवं प्रोटोकॉल आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित किए जाने के लिए अधिकृत न्यायिक अधिकारीगण ही टोंक न्यायक्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) व अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे तथा प्रोटोकॉल इयूटी से सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी प्रोटोकॉल इयूटी करेंगे।

उक्त इयूटी चार्ट में यदि कोई न्यायिक अधिकारी परिवर्तन चाहता है तो इस बारे में अन्य न्यायिक अधिकारी से उक्त दिवस की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करें, तत्पश्चात् ही सम्बन्धित अधिकारी के इयूटी परिवर्तन के प्रार्थना पत्र पर विचार किया जा सकेगा।


  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
टोंक (राजस्थान)

क्रमांक :- 633-654

दिनांक :- 02/09/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक।
2. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक/उनियारा/मालपुरा/निवाई/टोडारायसिंह।
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट. टोंक/देवली/मालपुरा/उनियारा/निवाई/दूनी/पीपलू।
4. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक/देवली/निवाई/न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, देवली।
5. पुलिस अधीक्षक महोदय, टोंक।
6. अधीक्षक जिला कारागृह, टोंक।
7. जिला आबकारी अधिकारी, टोंक।
8. सहायक समादेष्टा निरोधक दल, टोंक।
9. पुलिस कंट्रोल रूम, टोंक।
10. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर लेख है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाइट पर अपलोड करें।

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
टोंक (राजस्थान)